न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

2019RAAJu225RTA123Jabaruram Vs Singari etc

जबरूराम पुत्र पेमाराम लौहार
निवासी जालीवाडा खुर्द, तहसील पीपाडशहर
जिला जोधपुर

----- अपीलाण्ट

ब

ना

म

1. सीणगारी पत्नी मांगीलाल सरगरा
2. इन्द्रादेवी पत्नी मुन्नाराम लौहार
3. माधाराम पुत्र मुन्नाराम नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता इन्द्रादेवी पत्नी मुन्नाराम लौहार
4. रवि पुत्र मुन्नाराम नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता इन्द्रादेवी पत्नी मुन्नाराम लौहार
5. सजीया पुत्री पुत्र मुन्नाराम नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता इन्द्रादेवी पत्नी मुन्नाराम लौहार
6. बण्टी पुत्र मुन्नाराम नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता इन्द्रादेवी पत्नी मुन्नाराम लौहार
   निवासीगण जालीवाडीखुर्द तहसील पीपाडशहर
   जिला जोधपुर
7. भूमिधारी जरिये तहसीलदार, पीपाडशहर, जोधपुर

----- रेस्पो.

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरुद्ध आदेश सहायक कलेक्टर पीपाडशहर दिनांक 19 जुलाई 2019 राजस्व प्रकरण संख्या 32/2019 सीणगारी व अन्य बनाम जबरूराम

----- 0 -----

उपस्थित-

श्री भूपतसिंह जोधा, अधिवक्ता-अपीलाण्ट
श्री सत्यनारायण राजपुरोहित, अधिवक्ता-रेस्पो.
श्री दूदाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता

नि र्ण य

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

दिनांक : 31 दिस., 2019

अपीलाण्ट ने यह अपील विद्वान सहायक कलेक्टर, पीपाडशहर द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 32/2019 में पारित आदेश दिनांक 19 जुलाई 2019 के खिलाफ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 28 अगस्त 2019 को प्रस्तुत की है।

संक्षेप में इस प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थीगण-रेस्पो. संख्या एक से छः की ओर से एक प्रार्थनापत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251ए के तहत प्रस्तुत कर स्वयं की खातेदारी के खेत खसरा संख्या 75/16, 75/14 एवं 75/11 वाली भूमि मूल खसरा संख्या 75 के पास स्थित होना तथा उक्त खसरान की भूमि तक आवागमन हेतु रास्ता वर्ष 1997 में कायम किया जाना जाहिर किया और बताया कि इस संबंध में परस्पर सहमति की लिखत देवाराम पुत्र लुम्बाराम लौहार, जयरूपराम पुत्र नैनाराम मेघवाल, सिणगारी पत्नी मांगीलाल सरगरा, के मध्य 1997 में हुई थी जिसके अनुसार रास्ते की चौडाई 12 फीट रखी गयी थी, उक्त कदीमी रास्ते के चिपते हुए दक्षिण दिशा में प्रार्थीगण संख्या दो से छः की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की भूमि स्थित है और प्रार्थीगण उक्त रास्ते का उपयोग अपनी खातेदारी की भूमि में आवागमन हेतु कर रहे है, उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है।

अपने प्रार्थनापत्र में प्रार्थीगण-रेस्पो. ने यह भी वर्णित किया कि अप्रार्थी-अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्व प्रार्थनापत्र संख्या 44/2017 जबरूराम बनाम मांगीलाल पेश किया, जिसमें प्रार्थीगण-रेस्पो. ने जबाब प्रार्थनापत्र पेश कर रास्ता का अंकन कर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

रखा है, उक्त मामले का निस्तारण 09 मई 2017 को किया गया और तहसीलदार पीपाडशहर ने आदेश की पालना में दिनांक 25 अक्तूबर 2017 को टीम गठित कर कार्यालय आदेश जारी किया और दिनांक 28 फरवरी 2018 की फर्द मौका तैयार की जिसके अंत में जाहिर किया गया कि खसरा संख्या 75/13 का रकबा 11 बीघा ही होने के कारण पत्थरगढी किया जाना सम्भव नहीं है। इसके उपरान्त भी अप्रार्थी संख्या एक ने विधिविरुद्ध तरीके से मौके पर कब्जा नहीं होते हुए भी वादग्रस्त रास्ता वाली भूमि एवं प्रार्थीगण व अन्य की भूमि में दिनांक 20 फरवरी 2019 को गलत मुटाम कायम करवा दिये, अप्रार्थी संख्या एक रास्ते की भूमि को हडपने पर आमदा है, अतः उसे रोका जाकर राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 75/16 व 75/14 में आवागमन का रास्ता प्रार्थनापत्र के संलग्न नजरी नक्शा में लाल रंग से दर्शाये अनुसार दर्ज किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 05 मार्च 2019 को उक्त प्रार्थनापत्र दर्ज किया जाकर कार्यवाही आरम्भ की गयी और अप्रार्थी-अपीलाण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा मौका रिपोर्ट पेश करने हेतु तहसीलदार पीपाडशहर को तहरीर जारी की गयी। दिनांक 22 अप्रेल 2019 की आदेशिका अनुसार अधीनस्थ न्यायालय में अप्रार्थी-अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री फारुक मोहम्मद ने वकालतनामा पेश किया, दिनांक 25 जून 2019 तक उनके द्वारा कोई जबाब पेश नहीं करने पर अप्रार्थी-अपीलाण्ट के जबाब का अवसर बंद किया गया। मौका कमिश्नर की रिपोर्ट प्राप्त हो जाना वर्णित करते हुए आइन्दा पेशी वास्ते बहस 26 जून 2019 मुकर्रर की गयी, और 26 जून 2019 की पेशी इल्तवा की जाकर दिनांक 09 जुलाई 2019 को बहस समायत की गयी, तथा दिनांक 19 जुलाई 2019 को

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलाधीन आदेश पारित करते हुए प्रार्थीगण-रेस्पो. का प्रार्थनापत्र स्वीकार कर लिया गया।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने तथ्यों एवं अपील मीमों में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट-अप्रार्थी ने यह भलीभांति साबित कर दिया था कि मौके पर रास्ता चालू है, जो रेस्पो. संख्या एक की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 75/16 व 75/14 में आवागमन हेतु जालीवाडाखुर्द से मालावास की तरफ खसरा संख्या 75/11 की माठ से होकर जाता है, किन्तु उसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट-अप्रार्थी के उक्त वर्णित कथनों पर गौर नहीं कर अपीलाधीन आदेश पारित करने में विधिक एवं तथ्यात्मक भूल की गयी है। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने यह भी कथन किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार पीपाडशहर की मौका रिपोर्ट दिनांक 04 जून 2019 पर भी गौर नहीं कर अपीलाण्ट-अप्रार्थी के खेत खसरा संख्या 75/13 में से रास्ता कायम करने में गम्भीर विधिक भूल की है। अंत में अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने आलौच्य अपील स्वीकार की जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किये जाने का निवेदन किया।

जबाब में रेस्पो. की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने अपीलाधीन निर्णय का समर्थन करते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश न्यायोचित एवं विधिसम्मतः पारित किया गया है, पूर्व प्रार्थनापत्र संख्या 44/2017 में जबरूराम ने स्वयं उपस्थित होकर खसरा संख्या 75 में जिन-जिन को आवण्टन हुआ, उन सब को अलग-अलग नाप करके तरमीम किये जाने बाबत अपनी सहमति दी

थी। साथ ही अधिवक्ता-रेस्पो. ने वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध कराये जाने के संबंध में भी रेस्पो. की ओर से अपनी सहमति जाहिर की।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की उपरोक्त बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध मौका रिपोर्ट दिनांक 04 जून 2019 के अवलोकन से पाया जाता है कि उक्त मौका रिपोर्ट में जालीवाडाखुर्द से कोसाणा मार्ग (गैरमुमकिन रास्ता) पर खसरा संख्या 75/13 में से जो रास्ता अपीलाधीन आदेश के ज़रिये दिया गया है, उसकी कुल लम्बाई 198 मीटर है तथा उसके कारण उक्त खसरा संख्या 75/13 दो भागो में विभक्त होता हैं जबकि वैकल्पिक मार्ग जो जालीवाडीखुर्द से कोसाणा मार्ग पर खसरा संख्या 75/13 की माठ पर बिन्दु ए से बी से सी से दर्शित है, ज्यादा उपयुक्त है। तत्पश्चात प्रार्थीगण-रेस्पो. के खेत खसरा संख्या 75/14 में उसकी माठ पर बिन्दु सी से डी तक और उसके बाद इसी खसरे में खसरा संख्या 75/13 से लगती माठ पर बिन्दु डी से आर तक रास्ता दिया जाने से खसरा संख्या 75/16 वाले खातेदार प्रार्थी को भी रास्ता सुलभ हो जावेगा। इस प्रकार जाहिर है कि वैकल्पिक रास्ता ही प्रार्थीगण-रेस्पो. के लिए लघुतम दूरी का रास्ता है।

अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक तौर पर स्वीकार की जाती है और अपीलाधीन आदेश संशोधित करते हुए "प्रार्थीगण-रेस्पो. को उनकी खातेदारी के खेत **खसरा संख्या 75/16 एवं 75/14 तक** आवागमन हेतु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध मौका रिपोर्ट दिनांक 04 जून 2019 के संलग्न नजरी नक्शें (परिशिष्ठ "अ") में जालीवाडाखुर्द से कोसाणा गैरमुमकिन रास्ता से बिन्दु ए से बी से सी खसरा संख्या 75/13 की माठ पर तथा उसके आगे बिन्दु सी से डी

से आर खसरा संख्या 75/14की माठ पर परिशिष्ठ "अ" में दर्शाये अनुसार 4 मीटर चौडा रास्ता स्वीकृत किया जाता है। तदनुसार रास्ते के क्षेत्रफल की गणना की जाकर डी.एल.सी. दर से दोगुनी राशि का भुगतान संबंधित खातेदार को नियमानुसार किये जाने के बाद राजस्व रिकार्ड में अमल-दरामद किया जावे। उक्त मौका रिपोर्ट एवं संलग्न नजरी नक्शा बतौर परिशिष्ठ "अ" इस आदेश का अभिन्न अंग शुमार किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। 31/12/19

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर